भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1312

30 जुलाई, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आय बढ़ाने हेतु नई योजनाएं

1312. डॉ. गणपथी राजकुमार पी.:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार किसानों की आय बढ़ाने हेतु नई योजनाएं शुरू करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): भारत सरकार देश में किसानों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू कर रही है। हाल ही में शुरू की गई कुछ योजनाओं में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम), 10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) आदि शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू की जा रही प्रमुख लाभार्थी उन्मुख योजनाओं, जिनमें हाल ही में शुरू की गई योजनाएं भी शामिल हैं, का संक्षिप्त विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

अनुबंध

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा लागू प्रमुख योजनाओं का संक्षिप्त विवरण

क्र.सं.	योजना का नाम	उददेश्य
1	प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)	पीएम-किसान केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को कतिपय अपवर्जनों के अध्यधीन, भूजोत धारक किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के तहत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) मोड के माध्यम से देश भर के किसानों के परिवारों के बैंक खातों में वार्षिक 6000 रुपये का वित्तीय लाभ तीन समान चार-मासिक किस्तों में अंतरित किया जाता है।
2	प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई)	आर्थिक रूप से सबसे कमजोर किसान परिवारों को वित्तीय सहायता और सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार ने छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए दिनांक 12.09.2019 से प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना शुरू की है। पीएम केएमवाई 18 से 40 वर्ष के बीच प्रवेश आयु में आने वाले 2 हेक्टेयर तक खेती योग्य भूमि धारक छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन प्रदान करना है।
3	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)	पीएमएफबीवाई वर्ष 2016 में शुरू की गई थी ताकि किसानों को फसल-पूर्व से लेकर फसलोपरांत तक सभी गैर-निवार्य प्राकृतिक जोखिमों के सापेक्ष फसलों के लिए व्यापक जोखिम कवर सुनिश्चित करने और पर्याप्त दावा राशि प्रदान करने के लिए एक सरल और किफायती फसल बीमा उत्पाद प्रदान किया जा सके। यह योजना मांग आधारित है और सभी किसानों के लिए उपलब्ध है।
4	ब्याज छूट योजना (आईएसएस)	ब्याज छूट योजना (आईएसएस) फसल पालन और पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन जैसी अन्य संबद्ध गतिविधियों में कार्यरत किसानों को रियायती अल्पकालिक कृषि ऋण प्रदान करती है। आईएसएस एक वर्ष के लिए वार्षिक 7% की ब्याज दर पर 3.00 लाख रुपये तक के अल्पकालिक फसल ऋण का लाभ उठाने वाले किसानों के लिए उपलब्ध है। ऋणों के शीघ्र और समय पर पुनर्भुगतान करने पर किसानों को अतिरिक्त 3% छूट भी दी जाती है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर वार्षिक 4% तक कम हो जाती है। आईएसएस का लाभ प्राकृतिक आपदाओं और गंभीर प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) धारक छोटे और सीमांत किसानों को फसलोपरांत 6 माह की अवधि के लिए फसल ऋणों पर नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीदों (एनडब्ल्यूआर) हेतु फसलोपरांत ऋण के लिए भी उपलब्ध है।

5	कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष (एआईएफ)	मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर के अंतर को दूर करने और कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश जुटाने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष को शुरू किया गया था। एआईएफ को देश के कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के परिदृश्य को बदलने की दृष्टि से पेश किया गया था। कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर कोष एक मध्यम-दीर्घावधि ऋण वित्तपोषण सुविधा है, जो फसलोपरान्त प्रबंधन के इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामुदायिक खेती की संपत्ति के लिए ब्याज छूट और क्रेडिट गारंटी समर्थन के माध्यम से व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए है। योजना के तहत 1 लाख करोड़ रूपए वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 तक संवितरित किया जाएगा और योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2032-33 की अवधि के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। योजना के तहत, 1 लाख करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए 3% प्रति वर्ष के ब्याज छूट और 2 करोड़ रूपए तक के ऋण हेतु सीजीटीएमएसई के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज के साथ ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, प्रत्येक इकाई विभिन्न एलजीडी कोडों में स्थित 25 परियोजनाओं तक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र है। पात्र लाभार्थियों में किसान, कृषि-उद्यमी, स्टार्ट-अप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (पीएसीएस), विपणन सहकारी समितियाँ, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ), स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), संयुक्त देयता समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ, केंद्रीय/राज्य एजेंसी या स्थानीय निकाय प्रायोजित सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाएं, राज्य एजेंसियां, कृषि उपज बाजार समितियां (मंडियां), राष्ट्रीय और राज्य सहकारी संघ, एफपीओ के संघ (किसान उत्पादन संगठन) और स्वयं सहायता समूह संघ (एसएचजी) शामिल हैं।
6	10,000 नए एफपीओ का गठन और संवर्धन	भारत सरकार ने वर्ष 2020 में "10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएसएस) शुरू की है। इस योजना का कुल बजटीय परिव्यय 6865 करोड़ रुपये है। एफपीओ का गठन और संवर्धन कार्यान्वयन एजेंसियों (आईए) के माध्यम से किया जाना है, जो आगे चलकर 05 वर्षों की अवधि के लिए एफपीओ के गठन और प्रोफेशनल हैंडहोल्डिंग प्रदान करने के लिए क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को नियोजित करती है। एफपीओ को 03 वर्ष की अवधि के लिए प्रति एफपीओ 18.00 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा, 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ की सीमा के साथ एफपीओ को 2,000 रुपये तक प्रति किसान सदस्य की दर से समतुल्य इक्विटी ग्रांट और पात्र ऋणदाता संस्थान से प्रति

		एफपीओ परियोजना ऋण के लिए 2 करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा का प्रावधान किया गया है ताकि एफपीओ के लिए संस्थागत ऋण तक पहुंच हो सके। एफपीओ के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, एफपीओ को राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है, जो एफपीओ को उनकी उपज के लिए बेहतर लाभकारी मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु पारदर्शी मूल्य खोज पद्धति के माध्यम से उनकी कृषि वस्तुओं के ऑनलाइन व्यापार की सुविधा प्रदान करता है।
7	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	प्रति बूंद अधिक फसल योजना मुख्य रूप से सुव्यवस्थित/सूक्ष्म सिंचाई के माध्यम से फार्म स्तर पर जल उपयोग दक्षता पर केंद्रित है। उपलब्ध जल संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए सुव्यवस्थित सिंचाई (ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों) और बेहतर ऑन-फार्म जल प्रबंधन पद्धतियों को बढ़ावा देने के अलावा, यह घटक सूक्ष्म सिंचाई की अनुपूर्ति के लिए सूक्ष्म स्तर के जल भंडारण या जल संरक्षण/ प्रबंधन गतिविधियों में भी सहायता करता है।
8	कृषि विस्तार उप-मिशन (एसएमएई)	इस योजना का उद्देश्य भागीदारी मोड में विस्तार सुधारों को क्रियान्वित करने के लिए जिला स्तर पर नई संस्थागत व्यवस्थाओं जैसे कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी (एटीएमए) के माध्यम से किसानों को प्रौद्योगिकी का प्रसार करके विस्तार प्रणाली को किसान संचालित और किसान जवाबदेह बनाना है।
9	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमई)	कृषि यंत्रीकरण उप मिशन (एसएमएई) अप्रैल, 2014 से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों और उन क्षेत्रों में, जहां कृषि शक्ति की उपलब्धता कम है, कृषि यंत्रीकरण की पहुंच बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में कृषि यंत्रीकरण के त्वरित परंतु समावेशी विकास को उत्प्रेरित करना, छोटी भूजोत और व्यक्ति स्वामित्व की उच्च लागत के कारण उत्पन्न पैमाने की प्रतिकूल अर्थव्यवस्थाओं को दूर करने के लिए 'कस्टम हायरिंग सेंटर' को बढ़ावा देना, उच्च तकनीक और उच्च मूल्य वाले कृषि उपकरणों के लिए हब बनाना, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण गतिविधियों के माध्यम से हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करना और पूरे देश में स्थित विनिर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर प्रदर्शन परीक्षण और प्रमाणन सुनिश्चित करना है।
10	बीज और रोपण सामग्री उप-मिशन (एसएमएसपी)	एसएमएसपी, बीज क्षेत्र के विकास के लिए अनुकूल इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहायता प्रदान करने, बीज उत्पादन की क्षमता और गुणवत्ता में सुधार के लिए सार्वजनिक बीज उत्पादक संगठनों को सहायता प्रदान करने, प्राकृतिक आपदाओं की अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने के लिए समर्पित बीज बैंक आदि का

		निर्माण करने के लिए, नाभिक बीज के उत्पादन से लेकर किसानों को प्रमाणित बीजों की आपूर्ति तक, बीज उत्पादन श्रृंखला के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।
11	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) का उद्देश्य पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मिश्रण के माध्यम से जैविक खेती के सतत मॉडल का विकास करना है ताकि दीर्घकालिक मृदा उर्वरता निर्माण, संसाधन संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके और जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन में मदद मिल सके। इसका मुख्य उद्देश्य मृदा की उर्वरता में वृद्धि करना है और इस तरह कृषि-रसायनों के उपयोग के बिना जैविक पद्धतियों के माध्यम से स्वस्थ भोजन के उत्पादन में मदद करता है।
12	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफएसएम)	इस मिशन का उद्देश्य देश के अभिज्ञात जिलों में सतत् रूप से क्षेत्र विस्तार और उत्पादकता वृद्धि के माध्यम से चावल, गेहूं, दलहन मोटे अनाज (मक्का और जौ), पोषक अनाज (ज्वार, बाजरा, रागी और अन्य छोटे बाजरा) और वाणिज्यिक फसलों (जूट, कपास और गन्ना) और तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना है।
13	एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)	आईएसएएम बाजार संरचनाओं के निर्माण और सुधार, क्षमता निर्माण और बाजार की जानकारी तक पहुंच पैदा करने के माध्यम से कृषि उपज विपणन को नियंत्रित करने में राज्य सरकारों का समर्थन करता है। वर्ष 2017-18 के दौरान, ई-नाम योजना के रूप में लोकप्रिय राष्ट्रीय कृषि विपणन योजना को भी उसी का हिस्सा बनाया गया है। 23 राज्यों और 04 संघ राज्य क्षेत्रों की 1389 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया गया है।
14	समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)	वर्ष 2014-15 के दौरान फलों, सब्जियों, कंद और मूल फसलों, मशरूम, मसालों, फूलों, सुगंधित पौधों, नारियल, काजू, कोको और बांस को शामिल करते हुए बागवानी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजना समेकित बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) शुरू की गई थी।
15	मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एसएचसी)	मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उपयोग मृदा स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का आकलन करने और अधिक समय तक उपयोग होने पर, भूमि प्रबंधन से प्रभावित मृदा स्वास्थ्य में परिवर्तन निर्धारित करने के लिए किया जाता है मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा स्वास्थ्य संकेतको और संबंधित विवरणात्मक को प्रदर्शित करता है। संकेतक आमतौर पर किसानों के व्यावहारिक अनुभव और स्थानीय प्राकृतिक संसाधनों के ज्ञान पर आधारित होते हैं। कार्ड मृदा स्वास्थ्य संकेतकों को सूचीबद्ध करता है जिनका मूल्यांकन तकनीकी या प्रयोगशाला उपकरणों की सहायता के बिना किया जा सकता है।

16	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	इस योजना का उद्देश्य बहु-फसल, फसल रोटेशन और पशुधन, मधुमक्खी पालन आदि जैसी संबद्ध गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करके एकीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना है। एकीकृत कृषि पद्धतियां विविध प्रणालियों के माध्यम से फसल की विफलता के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने में मदद करती हैं जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्र के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है और जलवायु परिवर्तनशीलता में भी छोटे और सीमांत किसानों की आय को बनाए रखने में मदद मिलती है।
17	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई)	यह योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में फसल पूर्व और फसलोपरांत के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर केंद्रित है जो किसानों को गुणवत्तापूर्ण आदान, बाजार सुविधाओं आदि की आपूर्ति में मदद करती है। यह कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में गतिविधियों के एक समूह से स्थानीय किसानों की जरूरतों और प्राथमिकताओं के अनुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए राज्यों को लचीलापन और स्वायत्तता प्रदान करता है। इस योजना का उद्देश्य कृषि और संबद्ध क्षेत्रों और किसानों की आय के समग्र विकास में वृद्धि के लिए विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के संसाधनों के अंतर को भरना है। वर्ष 2022-23 के दौरान योजना के लिए आवंटन 3031.08 करोड़ रुपये है।
18.	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ऑयल पाम	राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ)-ऑयल पाम (एनएमईओ-ओपी) को वर्ष 2021-22 के दौरान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य ऑयल पाम क्षेत्र के विस्तार का दोहन करके, सीपीओ उत्पादन में वृद्धि और देश में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाना, खाद्य तेल पर आयात का बोझ कम करना है। यह मिशन ऑयल पाम प्लांटेशन के तहत 6.5 लाख हेक्टेयर के अतिरिक्त क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। भारत सरकार ने वर्ष 2024-25 के दौरान ऑयल पाम खेती के तहत 1.41 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में 91,591.27 लाख रुपये की मंजूरी दी है।
19.	बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना (एमआईएस-पीएसएस)	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय दलहन, तिलहन और खोपरा की खरीद के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) क्रियान्वित करता है। बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) उन कृषि और बागवानी वस्तुओं की खरीद के लिए है जो शीघ्र खराब होने वाली प्रकृति की हैं और मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत नहीं आती हैं। हस्तक्षेप का उद्देश्य इन जिंसों के उत्पादकों को चरम आवक अवधि के दौरान बंपर फसल की स्थिति में, जब कीमतें आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाती हैं, मजबूरन बिक्री से बचाना है।

20.	राष्ट्रीय बांस मिशन (एनबीएम)	कृषि आय के पूरक के लिए गैर-वन सरकारी और निजी भूमि में बांस के रोपण के तहत क्षेत्र में वृद्धि करना और जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ उद्योगों की गुणवत्ता वाले कच्चे माल की आवश्यकता की उपलब्धता में योगदान करना।
21.	राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)	आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम) शुरू किया गया है। मधुमक्खी पालन क्षेत्र के लिए वर्ष 2020-2021 से वर्ष 2022-2023 की अवधि के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। योजनाओं को वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक 370 करोड़ रुपये के शेष परिव्यय के साथ आगे बढ़ाने के लिए मंजूरी दी गई है।
22.	पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन	एमओवीसीडीएनईआर योजना का उद्देश्य उत्पादकों को उपभोक्ताओं के साथ जोड़ने के लिए मूल्य श्रृंखला मोड में वस्तु विशिष्ट, केंद्रित, प्रमाणित जैविक उत्पादन समूहों का विकास करना और पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा) में एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, विपणन और ब्रांड निर्माण पहलइनपुट, बीज, प्रमाणीकरण से लेकर संग्रह के लिए सुविधाओं के निर्माण तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विकास में सहायता करना है।
